इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 मई 2020—वैशाख 24, शक 1942

गृह (सी-अनुभाग) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 13 मई 2020

क्रमांक एफ—35—69—2013—दो—सी—2: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रं. एफ—35—69—2013—दो—सी—2 दिनांक 24 नवम्बर 2014, को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की भरती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम भाग–एक प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.-
  - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (भरती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2020 है।

- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत हैं, प्राधिकरण का समन्वयक / संचालक ;
  - (ख) ''प्राधिकरण'' से अभिप्रेत है आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उप—धारा (1) के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एम पी एस डी एम ए);
  - (ग) राज्य का मुख्यमंत्री, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उप—धारा (2) के अनुसार प्राधिकरण का पदेन 'अध्यक्ष' होगा ;
  - (घ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, प्राधिकरण का अध्यक्ष ;
  - (ड.) "समन्वयक / संचालक" से अभिप्रेत है, प्राधिकरण का समन्वयक / संचालक ;
  - (च) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
  - (छ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
  - (ज) ''सदस्य सलाहकार'' से अभिप्रेत है, प्राधिकरण का पूर्णकालिक सलाहकार जो मध्यप्रदेश राजपत्र क्र. 35—82—2016—दो—सी—2 दिनांक 28 जुलाई 2018 की धारा 2 (ख) के अनुसार प्राधिकरण के सदस्यों में से एक सदस्य होगा।

- (झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत हैं, केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ—8—5—पच्चीस—4—84, दिनांक 26—12—1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
  - (ज) "अनुसूचित जातियों" से अभिप्रेत हैं, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
  - (झ) "अनुसूचित जनजातियों" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
  - (স) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सेवा;
  - (ट) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;
  - (ठ) 'राज्य कार्यपालिक समिति' से अभिप्रेत हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 20 की उप–धारा (1) के अधीन गठित प्राधिकरण की कार्यपालिक समिति।
  - 3. लागू होना.— मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।
  - 4. प्राधिकरण की सेवा का गठन.— प्राधिकरण की सेवा निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--
    - (क) ऐसे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों;
    - (ख) ऐसे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व, प्राधिकरण में भरती किए गए हों; और
    - (ग) ऐसे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण में भरती किए गए हों।
  - 5. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान आदि.— वर्गीकरण, वेतनमान तथा प्राधिकरण में सिम्मलित पदों की संख्या अनुसूची—एक के अनुसार होगी।

भाग-दो भर्ती

- 6. भर्ती का तरीका.--
- (1) सामान्य शर्तें इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक से चयनित किया जाएगा :--
  - (क) प्रतिनियुक्ति पर (मध्यप्रदेश पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, संचालनालय नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, मध्यप्रदेश, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेना या राज्य अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य विभाग में नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानांतरण द्वारा, जो आपदा प्रबंधन मे कुशल हों)

मध्यप्रदेश शासनं, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी/3—14/06/3/1 दिनांक 29 फरवरी,
2008 के अधीन जारी प्रतिनियुक्ति दिशानिर्देश; और

- (ख) मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28 सितंबर, 2017 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम, 2017 के अधीन संविदा नियुक्ति जैसा कि प्रकाशित की गई है।
- (2) भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या, कभी भी अनुसूची—एक में उल्लिखित पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(3) भरती, अनुसूची –दो में यथा विनिर्दिष्ट तरीके के अनुसार की जाएगी।

- (4) (एक) अनुसूची दो के अनुक्रमांक 2, 3 एवं 4 के सामने उल्लिखित पदों के लिए भरती, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जाएगी:
  - (क) संदस्य सलाहकार, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (या अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह उनकी अनुपलब्धता की दशा में )

(ख) समन्वयक / संचालक, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सदस्य (ग)उप सचिव (गृह) या समकक्ष श्रेणी का कोई अधिकारी सदस्य

: अध्यक्ष

(दो) अनुसूची – दो के अनुक्रमांक 5,6,7,8,9, एवं 10 के सामने उल्लिखित पदों के लिए भरती निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जाएगी:

(क) उप सचिव (गृह) या समकक्ष श्रेणी का कोई अधिकारी : अध्यक्ष

(ख) उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण : सदस्य

(ग) सहायक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण : सदस्य

टीप 1: चयन समिति, अभ्यर्थियों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार (या कौशल परीक्षण) के आधार पर अभ्यर्थियों की शैक्षणिक अर्हताओं तथा अनुभव, उनके सेवा अभिलेख के साथ—साथ साक्षात्कार (या कौशल परीक्षण) में उनके प्रदर्शन को समिति द्वारा यथा निर्धारित समुचित महत्व देते हुए, उनकी सिफारिशें करेगी।

टीप 2: जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो, तो चयन समिति, समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मापदंड के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को शार्टिलस्ट

करने का अधिकार आरक्षित रखती है।

(5) प्रतिनियुक्ति / संविदा आधार पर भरती किए जाने वाले कर्मचारियों की अर्हताएं ऐसी होंगी जैसी कि संबंधित पदों के लिए अनुसूची—तीन में उल्लिखित है।

(6) दो बार विज्ञापन निकाले जाने के पश्चात् भी प्रतिनियुक्ति पदों के विरुद्ध उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में, उक्त पद संविदा आधार पर भरे जा सकेंगे, यदि ये पद दो वर्ष या अधिक अविध के लिए रिक्त बने रहे हैं।

#### 7. आरक्षण.--

(1) दिव्यांग व्यक्तियों का आरक्षण, मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा समय—समय पर जारी नियमों के अनुसार होगा।

- (2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधो के अनुसार होगा।
  - 8. नियुक्ति तथा हटाया जाना.— प्राधिकरण में अधिकारियों / कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वयक / संचालक द्वारा नियुक्त किया जाएगा और सेवाएं समाप्त और प्रत्यावर्तित की जा सकेंगी।
  - 9. संविदा नियुक्ति हेतु पात्रता की शर्ते.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त संविदा नियुक्तियां, मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम, 2017 के अनुसार की जाएंगी।
    संविदा नियुक्ति पर चयन हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित शर्ते पूरी की जाएंगी—

(1) प्राधिकरण में संविदा आधार पर कर्मचारी, अनुसूची—दो के कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार नियुक्त किए जाएंगे।

(2) संविदा पर इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति के पास अनुसूची—तीन में विनिर्दिष्ट पदों के लिए न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए।

10. नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति पर भर्ती.-

- (1) अधिकारी / कर्मचारी के मूल विभाग की सहमति प्राप्त करने के पश्चात्, विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती की जाएगी।
- (2) अभ्यर्थी को अनुसूची-तीन में यथा विनिर्दिष्टि अपेक्षित अर्हताएं धारण करनी चाहिए।
- (3) संबंधित अधिकारी / कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर वही वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा, जो कि वह अपने मूल विभाग में प्राप्त कर रहा था।
- (4) मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार, प्रतिनियुक्ति अवधि 4 वर्ष की होगी। यदि इससे अधिक अवधि के लिए अधिकारी को रखा जाना आवश्यक है, तो वह विभाग जिसमें अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर है तथा वह विभाग जिससे उसकी सेवाएं प्राप्त की गई हैं, दोनों विभागों के अनुमोदन से उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

#### 11. निरर्हता.—

- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी प्रयास नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में बैठने/चयन के लिए निरर्हता माना जा सकेगा।
- (2) ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय—समय पर निर्धारित मानदंडो को पूरा नहीं करता हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

#### भाग—तीन सेवा की शर्ते

- 12. सेवा में आचरण एवं अनुशासन.— मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियाम, 1965, मध्यप्रदेश सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 तथा मध्यप्रदेश सिविल, सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961, प्राधिकरण में कार्य करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों पर लागू होंगे।
- 13. अनुशासनिक एवं अपील प्राधिकारी.— मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वयक / संचालक, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण में कार्य करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कर्रवाई करने के लिए सक्षम होंगे।
- 14. शिथिलीकरण.— इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले का, जिसे ये नियम लागू होगे हैं, ऐसी रीति में, जो कि उसे न्यायसंगत और साम्यपूर्ण प्रतीत होती हो, निपटारा करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला किसी ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

- 15. निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता हैं, तो वह कार्यपालिक समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
- 16. व्यावृत्ति.— इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय—समय पर जारी किए गए आदेशों में उपबंधित किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मो. शाहिद अबसार, सचिव.

### अनुसूची-एक (नियम 5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान तथा प्राधिकरण में संरचना

অনুক্রদাক	पद का नाम	पदौं की संख्या	वर्गीकरण	पुनरीकण-पूर्व / पुनरीकित वेतनमान	सीचे भर्ती संविदा कर्मचारियों के लिए समेकित वेतन	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारिवृन्द का वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	समन्वयक/ संचालक(मध्यप्रदेश शासन के सचिव या इससे ऊपर की श्रेणी का अधिकारी)	01	प्रथ <del>म</del> -श्रेणी	पुनरीक्षण—पूर्व 37400—67000 पे—वैंड—4 (ग्रेड वेतन—10000)/पुनरीक्षित वेतनः लेवल एल—14 या अधिक	-	-
2.	उप संचालक	06	प्रध्यम—श्रेणी	पुनरीक्षण—पूर्व 15600—39100 पे—बैंड—3 (ग्रेड वेतन— 6600) पुनरीक्षितः एल—13—67300—206900		
<b>3.</b>	प्रशिक्षण विशेषज्ञ	02	<b>प्रथम</b> —श्रेणी	पुनरीक्षण—पूर्व 15600—39100 पे—बॅंड—3 (ग्रेड वेतन— 6600) पुनरीक्षितः एस—13—67300—206900		
4.	सहायक संचालक	13	द्वितीय—श्रेणी	पुनरीक्षण—पूर्व 15600—39100 <b>पे—बैंड—3</b> (ग्रेड वेतन— 5400) पुनरीक्षितः एल—12—56100—177500		
5.	सहायक लेखा अधिकारी	01	तृतीय—श्रेणी	पुनरीक्षण—पूर्व 9300—34800 पे—बैंड—2 (ग्रेड वेतन— 3600) पुनरीक्षितः एल—9—36200—114800	नियुक्त कर्मचारी को सामान्य प्रशासन विभाग के	
6.	स्टेनोग्राफर	01	तृतीय—श्रेणी	पुनरीक्षण-पूर्व 9300-34800 पे-बैंड-2 (ग्रेड वेतन- 3600) पुनरीक्षितः एल-9-36200-114800	परिपत्र क्रमॉक सी–5–2/2018/ 1/3, भोपाल, दिनॉक 5 जून, 2018 के अनुसार	पर वही वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा, जो कि वह
7.	लेखापाल	01	तृतीय—श्रेणी	पुनरीक्षण—पूर्व 5200—20200 पे—बैंड—1 (ग्रेड वेतन— 3600) पुनरीक्षितः एल—7—28700—91300	न्यूनतम वेतनमान का ९० प्रतिशत प्राप्त होगा।	अपने मूल विभाग में प्राप्त कर रहा था।
8.	कार्यालय सहायक— सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर	14	तृतीय—श्रेणी	पुनरीक्षित—पूर्व 5200—20200 पे—बैंड—1 (ग्रेड पे— 1900) पुनरीक्षितः एल—4—19500—62000		(el sil)
9.	वाहन चालक	02	तृतीय—श्रेणी	पुनरीक्षण—पूर्व 5200—20200 पे—बैंड—1 (ग्रेड पे— 1900) पुनरीक्षितः एल—4—19500—62000		
10.	भृत्य	13	चतुर्थ—श्रेणी	पुनरीक्षण—पूर्व 4440—7440 पे बैण्ड—एस—1 (ग्रेड वेतन— 1300) पुनरीक्षितः एल—1—15500—49000		
 व	<u>ુ</u>	54	-	-	-	::

# अनुसूची—दो (नियम—8 देखिए) धर्ती का तरीका

	पद			मरे	जाने वाले पदौँ की		
अनुक्रमांक	पद का नाम	की संख्या	सीबी पर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा	संविदा नियुक्ति द्वारा	अन्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	समन्वयक / संचालक (मध्यप्रदेश शासन के सचिव या उससे ऊपर की श्रेणी का अधिकारी)	01	निरंक	निरंक	ÓÍ		शासन द्वारा अधिकारी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों में से, मध्यप्रदेश शासन के सचिव या इससे ऊपर की श्रेणी के अधिकारियों में से नियुक्त किया जाएगा
2	उप संघालक	06	तदैव	तदैव	04	02	3-3
3.	प्रशिक्षण विशेषज्ञ	02	तदैव	तदैव	01	01	-
4.	सहायक संचालक	13	ं तदैव	तदैव	-08	05	X 15-6
5.	सहायक लेखा अधिकारी	01	तदैव	तदैव	01	निरंक	.=
6.	स्टेनोग्राफर	01	तदैव	तदैव	01	तदैव	V <del>=</del> 0
7.	लेखापाल	01	तदैव	तदैव	01	त्तदैव	-
8.	कार्यालय सहायक- सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	14	तदैव	तदैव	08	06	=
9.	वाहन चालक	02	तदैव	तदैव	01	01	= .
10.	भृत्य	13	तदैव	तदैव	08	05	-
	<b>कु</b> ल	54	निरंक	निरंक	34	20	-

. W.

#### अनुसूची—तीन (नियम a देखिए) प्रतिनियुक्ति एवं संविदा आघार पर भरे जाने वाले पदौं **डेतु आयु तथा अर्डताएं**

अनुक्रमांक	पद का		पदाँ हेतु स्थामा	प्रतिनियुक्ति एवं शैक्षणिक	संविदा पदों हेतु अर्हताएं	प्रतिनियुक्ति पदौ	युक्ति पदों हेतु अनुभव	
	नाम	न्यूनतम	अधिकतम	आवश्यक	वांछनीय	आवस्यक	वांछनीय	<b>अनु</b> भव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	उप संचालक	18	40	सामाजिक विज्ञान/ मू-विज्ञान/ विज्ञान/ ग्रामीण विकास/ आपदा प्रबंधन/ इंजीनियरिंग/ कृषि/विधि/ चिकित्सा/ अर्थशास्त्र/ सारियकी/ रक्षा अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए।		केन्द्र / राज्य शासन या अर्धशासकीय संगठनों के अधीन प्रथम / द्वितीय श्रेणी अधिकारी (एक) सदृश पद धारण करता हो तथा संबंधित क्षेत्र में अनुभव हो अथवा (दो) पुनरीक्षण—पूर्व वेतनमान रू. 15800—39100ग्रेड वेतन 5400 में संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव हो अथवा	ऐसे अधिकारियों को अधिमानता दी जाएगी जिन्होंने शासकीय/ अर्घशासकीय/ अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साध्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य किया हो,	केन्द्र / राज्य शासन / अर्घशासकीय संगठनों / अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों में आपदा प्रबंधन में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव
	*   C   7		-			(तीन) पुनरीक्षण—पूर्व वेतनमान रू. 9300—34800 ग्रेड वेतन 4600 में संबंधित क्षेत्र में 8 वर्ष का अनुभव हो।		,
2.	प्रशिक्षण विशेषज्ञ	18	40	सामाजिक विज्ञान/ मू-विज्ञान/ विज्ञान/ ग्रामीण विकास/ आपदा प्रबंधन/ इंजीनियरिंग/ कृषि/विधि/ चिकित्सा/ अर्थशास्त्र/ सांख्यिकी/ रक्षा अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए।	सामाजिक विज्ञान / भू-विज्ञान / विज्ञान / ग्रामीण विकास / आपदा प्रबंधन / इंजीनियरिंग / कृषि / विधि / चिकित्सा / अर्थशास्त्र / सांख्यिकी / रक्षा अध्ययन में पी.एच.डी उपाधि होनी चाहिए।	केन्द्र/राज्य शासन या अर्धशासकीय संगठनों के अधीन प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारी (एक) सदृश पद धारण करता हो तथा संबंधित क्षेत्र में अनुभव हो अथवा (दो) पुनरीक्षण—पूर्व वेतनमान रू. 15600—39100 ग्रेड वेतन 5400 में संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव हो अथवा (तौन) पुनरीक्षण—पूर्व वेतनमान रू. 9300—34800 ग्रेड वेतन 4600 में संबंधित क्षेत्र में 8 वर्ष का अनुभव हो।	ऐसे अधिकारियों को अधिनानता दी जाएगी जिन्होंने शासकीय/ अर्घशासकीय/ अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य किया हो,	केन्द्र / राज्य शासन / अर्घशासकीय संगठनों / अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष पढ़ाने का अनुमव
3.	सहायक संचालक (जिसमें से सहायक संचालक (वित्त) का एक पद)	18	40	सामाजिक विज्ञान/ भू-विज्ञान/ विज्ञान/ ग्रामीण विकास/ आपदा प्रबंधन/ इंजीनियरिंग/	सहायक संचालक (वित्तं) के लिए वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि/ एम.बी.ए.	केन्द्र / राज्य शासन / अर्घशासकीय संगठनों के अधीन प्रथम / द्वितीय श्रेणी अधिकारी (एक) सद्श पद धारण करता हो तथा संबंधित क्षेत्र में	ऐसे अधिकारियों को अधिमानता दी जाएगी जिन्होंने शासकीय/ अर्घशासकीय/ अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के	केन्द्र / राज्य शासन / अर्धशासकीय संगठनों / अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों में आपदा प्रबंधन में न्यूनतम 05 वर्षो का अनुभव

4:				कृषि / विधि / विकित्सा / अर्थशास्त्र / सांख्यिकी / एक्षा अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। सहायक संचालक (वित्त) के लिए अधिकारी के पास वाणिज्य में स्नातक उपाधि होनी चाहिए तथा विमागीय वित्तीय सेवा परीक्षा या केन्द्र / राज्य शासन द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	(फायनेंस) / चार्टर्ड अकाउन्टेंट या समकक्ष वांछनीय है।	अनुमव हो अथवा  (दो) पुनरीक्षण—पूर्व वेतनमान रू. 9300—34800 ग्रेड वेतन 4600 में संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव हो अथवा  (तीन) पुनरीक्षण—पूर्व वेतनमान रू. 9300—34000 ग्रेड वेतन 4200 में संबंधित क्षेत्र में 8 वर्ष का अनुभव हो ।	साध्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य किया हो, सहायक संघालक (वित्त) के लिए ऐसे अधिकारियों को अधिमानता दी जाएगी जिन्होंने केन्द्र/राज्य शासन में लेखा अधिकारी / कोषालय अधिकारी/ सहायक लेखा अधिकारी केप्प में कार्य किया हो।	सहायक संचालक वित्त के लिए केन्द्रं / राज्य शासन में लेखा अधिकारी / कोबालय अधिकारी / सहायक लेखा अधिकारी या समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्षी का अनुमव
4.	सहायक लेखा अधिकारी	18	40	वाणिज्य में स्नातक उपाधि होना चाहिए, केन्द्र / राज्य शासन द्वारा संचालित विभागीय अधीनस्थ लेखा सेवा उत्तीर्ण होना चाहिए	वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि / एम.बी.ए. (फायनेंस) / चार्टर्ड अकाजन्टेंट या सम्कक्ष वाधनीय है।	केन्द्र / राज्य शासन / अर्धशासकीय संगठनों में लेखा / कोषालय में कम से कम 3 वर्ष का कार्य करने का अनुभव	Alexandria de la companya de la comp	
5.	स्टेनो- ग्राफर	18	40	हायर सेकेण्ड्री तथा शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी बोर्ड / संस्थान से अंग्रेजी / हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन एवं मुद्रलेखन उत्तीर्ण होना चाहिए एवं सी.पी.सी.टी. उत्तीर्ण होना चाहिए	स्नातक वांछनीय है।	केन्द्र / राज्य शासन या अर्घशासकीय संगठनों में स्टेनोग्राफर / स्टेनों टाईपिस्ट के रूप में कम से कम तीन वर्ष का कार्य करने का अनुभव		
6.	लेखापाल	18	40	वाणिज्य में स्नातक उपाधि एवं विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	दाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि वांछनीय है।	केन्द्र / राज्य शासन या अर्घशासकीय संगठनों में लेखा / कोषालय में कम से कम तीन वर्ष का कार्य करने का अनुमव		

7/2	कार्यालय सहायक— सह— कम्प्यूटर ऑपरेटर	18	40	विज्ञान में स्नातक / इंजीनियरिंग में डिप्लोमा / आई.टी.आई. /डी.सी.ए. अथवा समकक्ष एवं सी.पी.सी.टी. उत्तीर्ण।	इंजीनियरिंग में उपाधि /पी.जी.डी. सी.ए. /कम्प्यूटर से संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर या समकक्ष वांछनीय	केन्द्र/राज्य शासन/अर्धशासकीय संगठनों में कम्प्यूटर एप्लीकेशन/एम.एस. ऑफिस /डाटा मैनेजमेंट/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर में कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव		केन्द्र/राज्य शासन/अर्थशास कीय संगठनों में कम्प्यूटर एप्लीकेशन /एम.एस. ऑफिस/ डाटा मेनेजमेंट/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर में कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव
8.	वाहन चालक	18	40	विधिमान्य वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति एवं हाईस्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए	भारी मोटर वाइन चलाने की अनुज्ञप्ति वांछनीय है।	केन्द्र / राज्य शासन या अर्घशासकीय संगठनों में कम से कम तीन वर्ष कार्य करने का अनुसद	300000000000000000000000000000000000000	केन्द्र/राज्य शासन या अर्धशासकीय संगठनों में कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुमद
9.	मृत्य	18	40	मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड / संस्था से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	हाई स्कूल प्रमाण—पत्र या समकक्ष उत्तीर्ण होना वांछनीय है।	केन्द्र/राज्य शासन या अर्घशासकीय संगठनों में कम से कम तीन वर्ष कार्य करने का अनुमव हिन्दी एवं अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए।		केन्द्र / राज्य शासन या अर्घशासकीय संगठनों में भृत्य या समकक्ष के रूप में कम से कम तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव। हिन्दी एवं अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए।

#### टीप --

विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, सहायक संचालक के पद के विरूद्ध भरती किए जा सकते हैं, जो कि संचालक/ समन्वयक, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाएंगे । अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष होगी । आयु में छूट, मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार होगी।

2

3. सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की दशा में, संविदा नियुक्ति, जहां अधियार्षिकी आयु ६० वर्ष है, वहां ६५ वर्ष कि आयु तक एवं जहां अधिवार्षिकी आयु 65 वर्ष है वहां 70 वर्ष की आयु तक दी जा सकती है।



## अनुसूची—चार

## प्राधिकरण के अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रमाग वार स्वीकृत पदों की संख्या

अनुक्रमांक	पद का नाम	कुल स्वीकृत पद		
(1)	(2)	(3)		
1	सभन्वयक / संचालक	1		
2	स्टेनोग्राफर	1		
3	कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	1		
4	वाहन चालक	2		
5	भत्य	3		

#### क. प्रशासनिक प्रभाग

अनुक्रमांक	पद का नाम	कुल स्वीकृत पद
1	उप संचालक (प्रशासनिक)	1
2	सहायक संचालक	1
3	कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	2
4	भृत्य	2

## ख. आई.ई.सी. एवं मीडिया प्रभाग :

अनुक्रमांक	पद का नाम	कुल स्वीकृत पद
1	<b>उप</b> संचालक (आई.ई.सी. एवं मीडिया)	1
2	सहायक संचालक	2
3	कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	2
4	भृत्य	1

#### ग. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

अनुक्रमांक	पद का नाम	कुल स्वीकृत पद
1	उप संचालक (प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण)	1
2	सहायक संचालक	2
3	प्रशिक्षण विशेषज्ञ	2
4	कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	3
5	भृत्य	2

## घ. अनुसंघान एवं नीति विकास

अनुक्रमांक	पद का नाम	कुल स्वीकृत पद
1	उप संचालक (अनुसंधान एवं नीति विकास)	1
2	सहायक संचालक (थीमेटिक)	3
3	कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	3
4	भृत्य	2

## (ङ) वेत्त योजना एवं समन्वय प्रमाग

अनक्रमांक	पद का नाम	कुल स्वीकृत पद
1	सहायक संचालक(वित्त)	1
2	सहायक लेखाधिकारी	1
3	लेखापाल	1
4	कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	1
5	भृत्य	1

#### च. प्रचालन एवं समन्वय प्रभाग

अनुक्रमांक	पद का नाम	कुल स्वीकृत पद
1	उप संचालक	1
2	सहायक संचालक	3
3	कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	1
4	भत्य	1

## छ. अंतर्राष्ट्रीय सह संचालन-सह-नवीन तकनीक विकास

अनुक्रमांक	पद का नाम	कुल स्वीकृत पद
1	उप संचालक	1
2	सहायक संचालक	1
3	कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	1
4	भृत्य	1
	कुल योग	54

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मो. शाहिद अबसार, सचिव. No. F-35-69-20 13-II-C-2 In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of this department's Notification No. F-35-69-20 13-II-C-2 dated 24<sup>th</sup> November, 2014 the Governor of Madhya Pradesh, hereby, make the following rules for regulating the recruitment and conditions of service of officers and employees of the Madhya Pradesh State Disaster Management Authority, namely:-

#### RULES

#### PART-I

#### PRELIMINARY

#### 1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh State

  Disaster Management Authority (Recruitment and

  Conditions of Service) Rules, 2020.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
- 2. **Definitions.** In these rules, unless the context otherwise requires, -
  - (a) "Appointing Authority" means the Coordinator /Director of the Authority;
  - (b) "Authority" means the Madhya Pradesh State Disaster Management Authority (MPSDMA) established undersub-section (1) of Section 14 of the Disaster Management Act, 2005;

- (c) Chief Minister of the State, shall be the ex officio 'Chairperson' of the Authority in accordance with Section 14 (2) the of the Disaster Management Act, 2005
- (d) "Competent authority" means the Chairperson of the Authority;
- (e) "Co-ordinator/Director" means the Coordinator/
  Director of the Authority;
- (f) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (g) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (h) "Member Advisor" means the full time Advisor of the Authority who will be one of the members of the Authority in accordance with Section 2(b) of Madhya Pradesh Gazette No. 35-82-2016-II-C-2 dated 28th July, 2018.
- (i) "Other Backward Classes" means the Backward Classes of citizens as specified by the Central Government vide Notification No. F -8-5-twenty five-4-84, dated 26-12-1984 as amended from time to time;
- (j) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as such in relation to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;
- (k) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such in relation to the State of

- Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;
- (l) "Service" means the service of Madhya Pradesh State

  Disaster Management Authority;
- (m) "State" means the State of Madhya Pradesh;
- (n) "State Executive Committee" means the Executive Committee of the Authority constituted under subsection (1) of Section 20 of the Disaster Management Act, 2005.
- 3. **Application**.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every members of the Authority.
- 4. **Constitution of the Service of Authority.** The service of Authority shall consist of the following persons, namely:-
  - (a) persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity, the posts specified in Schedule-I;
  - (b) persons recruited to the Authority before the commencement of these rules; and
  - (c) persons recruited to the Authority in accordance with the provisions of these rules.
- 5. Number of posts, classification and pay scale etc.-

The classification, pay scale and number of posts included in the Authority shall be in accordance with Schedule-I.

#### PART - II RECRUITMENT

#### 6. Method of recruitment.-

- (l) General conditions: After the commencement of these rules, candidates shall be selected for appointment in the Authority by one of the following methods as may be prescribed:-
  - (a) On deputation (by transfer of officers/ employees appointed in the Madhya Pradesh Police, Border Security Force, Directorate of Home Guards and Civil Defence. Madhya Pradesh, Central Industrial Security Authority, National Disaster **National** Authority, Disaster Response Management Authority, Army or any other department of the State or Central Government who possess the skills of Disaster Management) under Madhya Pradesh Government, General Administration Department Deputation Guidelines issued vide No. C/3-14/06/3/1 dated 29th February, 2008; and
  - (b) By Contractual appointment under 'Madhya Pradesh Contractual Appointment to Civil Posts Rules, 2017 as published by General Administration Department in Madhya Pradesh Gazette dated 28th September 2017.
- (2) Number of persons recruited shall never exceed the number of posts mentioned in the Schedule-I.
- (3) Recruitment shall be done in accordance with the method as specified in Schedule II.

- (4) (I) For the posts mentioned against Serial Number 2,3 and 4 of Schedule II, recruitment shall be made with the approval of competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:
  - (a) Member Advisor, MPSDMA (or : Chairman in case of his non-availability ACS/PS, Home)
  - (b) Coordinator / Director, : Member MPSDMA
  - (c) Deputy Secretary (Home) or : Member an officer of equivalent rank
- (II) For the posts mentioned against Serial Number 5,6,7,8,9 and 10 of Schedule II, recruitment shall be made with the approval of competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:-
  - (a) Deputy Secretary (Home) or an : Chairman officer of equivalent rank
  - (b) Deputy Director, MPSDMA : Member
  - (c) Assistant Director, MPSDMA : Member
- Note1: The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews (or skill test) with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications and experience of the candidates, their service record as well as their performance in the interview (or skill test).
- Note 2: When the number of applications received is large, the

- Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.
- (5) The employees to be recruited on deputation/contractual basis shall have such qualifications as mentioned in Schedule III for the concerned posts.
- (6) In case of non availability of suitable candidates against deputation posts, even after having advertised twice, such posts may be filled on contractual basis, if these posts have remained vacant for a period of two years or more.

#### 7. Reservation.-

- (1) Reservation of physically challenged persons shall be as per the rules issued by the Madhya Pradesh State Government, from time to time.
- (2) Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21of 1994).
- 8. Appointment and Removal.- The officers/employees in the Authority shall be appointed and may be terminated / repatriated by the Coordinator/ Director of MPSDMA with the approval of competent authority.
- 9. Conditions of eligibility for contractual appointment.After the commencement of these rules, all the contractual appointments in the service shall be made in accordance

with Madhya Pradesh Contractual Appointment to Civil Posts Rules, 2017.

The following conditions shall be fulfilled by the candidates to be eligible for Selection on contract appointment—

- (1) The employee shall be appointed on contractual basis in the Authority as specified in column (7) of Schedule-II.
- (2) The person so appointed on contract must have the minimum qualification for the posts specified in Schedule-III.

#### 10. Appointment / Recruitment on deputation.-

- (l) After receiving the consent of the parent department of the Officer / Employee, the recruitment through deputation shall be made on different posts.
- (2) The candidate must possess the requisite qualifications as specified in Schedule-III.
- (3) The concerned officer/employee shall receive the same pay and allowances on deputation as he was getting in his parent department.
- (4) As per the rules of Madhya Pradesh Government, the deputation period shall be of 4 years. If it is required to retain the officer for more period, then his deputation period may be increased with the approval of both the department in which the officer is on deputation and the department from which his services have been obtained.

#### 11. Disqualification.-

- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held as disqualification for appearing in the examination/Selection by the Appointing Authority.
- (2) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post, who does not fulfill the norms laid down by the State Government from time to time.

## PART-III

#### CONDITIONS OF SERVICE

- 12. Conduct and discipline in the service.- The Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 and the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 shall be applicable on the officer/employee who is working in the Authority.
- 13. Disciplinary and Appellate Authority.-The Coordinator / Director of MPSDMA shall be competent to take disciplinary action against the officers/employees working in the Authority as per the provisions of rule 10 of the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966.
- 14. **Relaxation**.-Nothing in these rules shall construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such a manner, as may appear to him to be just and equitable:

Provided taht the case shall not be dealt within any such manner less favouable to him than that which provided in these rules.

- 15. Interpretation.- If any question arises relationg to the interpretaion of these rules, it shall be referred to the Executive Committee and its decision shall be final thereon.
- 16. **Saving.-** Nothing contained in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes in the orders issued by the State Government in this behalf, from time to time.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, MOHD. SHAHID ABSAR, Secy.

## SCHEDULE-I (See Rule 5) Classification, pay scale and structure in the Authority

S. No.	Name of Post	No. of posts	Classification	Pre-revised / Revised Pay Scale	Consolidated Pay for Directly Recruited Contractual Employees	appointed on Deputation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Coordinator/ Director (Officer of the rank of Secretary to Government of MP or above)	01	Class-I	Pre-revised: 37400-67000 Pay Band-4 (Grade Pay 10000) / Revised Pay: Level L-14 or above		
2.	Deputy Director	06	Class-I	Pre-revised: 15600-39100 Pay Band-3 (Grade Pay 6600) Revised: L-13 – 67300- 206900		
3.	Training Expert	02	Class-I	Pre-revised: 15600-39100 Pay Band-3 (Grade Pay 6600) Revised: L-13 - 67300- 206900		The concerned Officer /
4.	Assistant Director	13	Class-II	Pre-revised: 15600-39100 Pay Band-3 (Grade Pay 5400) Revised: L-12 – 56100- 177500	-	same pay and allowances on deputation as he was getting in his parent department
5.	Assistant Accounts Officer	01	Class-III	Revised : L-9 - 36200-	The employee appointed on contractual basis	
6.	Stenographer	01		Pay Band-2 (Grade Pay 3600) Revised: L-9 – 36200-	shall receive 90 percent of the least pay-scale in accordance to GAD Circular No. C-5-2/	
7.	Accountant	01	Class-III	Pay Band-1 (Grade Pay	2018/1/3. Bhopal dated 5 <sup>th</sup> June, 2018	
8.	Office Assistant- cum- Computer Operator	14	Class-III	Pre-revised : 5200-20200 Pay Band-1 (Grade Pay 1900) Revised : L-4 – 19500- 62000		ż
9.	Driver	02	Class-III	Pre-revised: 5200-20200 Pay Band-1 (Grade Pay 1900) Revised: L-4 – 19500- 62000		
10.	Peon	13	Class-IV	Pre-revised : 4440-7440 Pay Band S-l (Grade Pay 1300) Revised : L-1 – 15500-49000	Н	Ž.

### SCHEDULE - II (See Rule - 6)

### **Method of Recruitment**

- 13		1	Numi	ber of 1	posts to be	filled by	
S.N o.	Name of Post	Numb er of Post			Deputati on	Contractu al Appointme nt	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Coordinator/ Director (Officer of the rank of Secretary to Government of Madhya Pradesh or above)	01	Nil	Nil	01	Nil	The Officer shall be appointed by the Government from amongst the Officers of All India Services of the rank of Secretary to Government of Madhya Pradesh or above.
2.	Deputy Director	06	-Do-	-Do-	04	02	-
3.	Training Expert	02	-Do-	-Do-	01	01	=
4.	Assistant Director	13	-Do-	-Do-	08	05	=
5.	Assistant Accounts Officer.	01	-Do-	-Do-	01	Nil	¥ 12.7 (1.2)
	Stenographer	01	-Do-	-Do-	01	-Do-	-
	Accountant	01	-Do-	-Do-	01	-Do-	
8.	Office Assistant- cum- Computer Operator.	14	-Do-	-Do-	08	06	-
9.	Driver	02		-Do-	01	01	¥
0.	Peon	13	-Do-	-Do-	08	05	-
	Total	54	Nil	Nil	34	20	

## SCHEDULE-III (See Rule 8) (ye and Qualifications for the Posts to be filled)

## Age and Qualifications for the Posts to be filled on Deputation and Contractual basis

sts	Experience fo	n and	Qualificati Deputatio Contractua	or tract sts	Cont	Name of post		8. No.	
Desirable	Essential	Desirabl e	Essential	Max.	Min.				
(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
Preference shall be given to the officers who have worked in the field of Disaster Management with Government/ Semi- Government / International Agencies	Class I/II Officers under Central / State Government or Semi- Government organizations - (i) Holding analogous posts and having experience in the concerned field or (ii) Having 5 years experience in the concerned field in the pre-revised pay scale of Rs 15600- 39100 in the Grade Pay of Rs 5400 or (iii) Having 8 years experience in the concerned field in the pre-revised pay scale of Rs 5400 or (iii) Having 8 years experience in the concerned field in the pre-revised pay scale of Rs 9300- 34800 in the	(6)	Must have Post- graduation Degree in Social Science/ Geology/ Science/ Rural Development / Disaster Management / Engineering / Agriculture / Law / Medical / Economics / Statistics / Defence Studies	(4)	(3)	Deputy Director	(1)		

2.	Traini	18	40	Must have	Ph.D in	Class I/II	Preference	
1 4.		10	70	Post-	Social	Officers	shall be given	Minimum 10
1	ng Expert			graduation	Science	under	to the officers	years of
	Expert	-		Degree in	Jeichiee	Central /	who have	teaching
	1			Social	Geology	State	worked in the	experience in
				Science/	/	Government	field of	Disaster
				Geology/	Science	or Semi-	Disaster	Management
				Science/	/ Rural	Government	Management	related field in
				Rural	Develop	organizations	with	Central /
		9		Developmen	ment/	organizations	Government/	State
	1			t/ Disaster	Disaster		Semi-	Government /
				Managemen	Manage	(1) Holoing	Government	Semi-
1		-		t/	ment/	analogous	/	Government
-1	:			Engineering	Enginee	posts and	International	organizations/
	- x 1			/	ring/	having	Agencies	International
				/ Agriculture	Agricult	experience in	1180110100	Agencies
		lec"		/ Law /	ure /	the		4
				Medical /	Law /	concerned		5
	1			Economics	Medical	field or		
	4.			/ Statistics	/	(ii) Having 5		
				/ Defence	Economi	years		
		-		Studies	cs /	experience in		
1		- 1		Diadies	Statistic	the		
		- 1			s /	concerned		
					Defence	field in the		Al .
					Studies	pre-revised		
		- 1			is	pay scale of		
	Ì			1 3	desirabl	Rs 15600-		
		1			е	<b>3</b> 9100 in the		
						Grade Pay of		
100			% 3			Rs 5400 or		
			1			(iii) Having 8		
			1			vears		
1 1		1				experience in		
		4				the	i	
		- 1		4		concerned		8
						field in the	-	
	ľ					pre-revised		160
	-					pay scale of		
						Rs 9300-		- 2
						34800 in the		
	F	1				Grade Pay of		
		-				Rs 4600		~
						NO 7000		

1(1	) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3			40	Must have	For	Class I/II	Preference	
	nt	1		Post-	Assistan	Officers under	shall be given	Minimum 5
ł.	Directo		1	graduation	lt	Central / State	to the officers	years of
1	r (out o		1	Degree Social	Director	Government or	who have	experience in
4	which		1	Science/	(Finance	Semi-	worked in the	Disaster
1	one		1	Geology/	).	Government	field of	Management in
1	post of		l	Science/	Masters	organizations -	Disaster	Central / State
1	Assista	1	i	Rural	Degree	(i) Holding	Management	Government /
1	nt	-	1	Development	in	analogous	with	Semi-
1	Directo			/ Disaster	Commer	posts and	Government/	Government
	r	1		Management	ce /	having	Semi-	organizations/
	(Financ			1	MBA	experience in	Government /	International
	(e)	1		Engineering/	(Finance	the concerned	International	Agencies.
į,	1"			Agriculture /	) / CA or	field or	Agencies.	For Assistant
1	10	1		Law /	equivale	(ii) Having 5	1.6020101	Director
1	1			Medical /	nt is	years	For Assistant	(Finance),
				Economics /	desirabl	experience in	Director	minimum 5
1.	1			Statistics /	е	the concerned	(Finance),	vears
	E			Defence	1	field in the	preference	experience in
				Studies	l .	pre-revised	shall be given	the capacity of
				For Assistant	V.	pay scale of Rs	to the officers	Accounts
1		1		Director		9300-34800 in	who have	Officer /
1				(Finance)		the Grade Pay	worked with	Treasury Officer
ŀ				officer must		of Rs 4600 or	Central / State	/ Assistant
1				have Degree		(iii) Having 8	Government as	Accounts
1				in Commerce		years	Accounts	Officer or
1	î .			and must		experience in	Officer /	equivalent in
I		1 - 1		have passed		the concerned	Treasury	Central / State
1		1 1		departmental		field in the	Officer /	Government.
	1	i i		Financial		pre-revised	Assistant	
1	Ĭ.	1		Services		pay scale of Rs	Accounts	
ļ	1-	1		Examination		9300-34800 in	Officer	
		1 1		or		the Grade Pay		
		1 1		Subordinate		of Rs 4200		
		1 1		Accounts				
		1 1		Services				
	i			Examination				
-		1 1		conducted				
	1			by Central /				
	l .			State		i		
				Government.				
4.	Assista	18	40	Must have	Post-	Atleast three		2444
	nt		1	Graduation	graduati	years working		
	Accoun	1		Degree in	on	experience in		
	ts		1	Commerce	Degree	Accounts /		
	Officer	1	į	Must have	in	Treasury in		
			1	cleared	Commer	Central / State		1
			- 1	Departmenta	ce/	Government or		
		4 1		1	MBA	Semi-		
		( )	- 1	Subordinate	(Finance	Government		
		1		Account	) / CA or	organizations		
				Services	equivale	2		
			1	conducted	nt is			
				by Central /	desirabl	1		
	e:		- 1	State	e	1		
				Government	-		1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	Steno -	18	40	Must have	Graduat	Atleast three	****	
	grapher			passed	ion is	years working		
		i i		Higher	desirabl	experience as		
				Secondary	e	a ·		
				and English/	-	Stenographer/		
	1	1	1	Hindi		Steno Typist in		A D
		1		Shorthand	1			
		1				Central /	1	
			1	and Typing		State		
			1	from Board/		Government or		
		1		Institute		Semi-		100
			1	recognized		Government		1
	1			by the		Organizations		
	-1		1	Government	1			100
			1	of Madhya				1.6
i i		l		Pradesh and				
		i	1					1
			1	passed CPCT	ł			1
_	A	10	40	Must have	Post	Atleast three		
6.	Accoun	18	40		Post			
	tant		1	Graduation	Graduat	years working		
			1	degree in	ion	experience in		
			1	Commerce	Degree	accounts /		19
- 1			1	and cleared	in	treasury in		
- 1				Departmenta	Commer	Central/State	-	
100				1 Accounts	ce is	Government or		
- 1				Examination.	desirabl	Semi-		
- 1					e	Government		
- 1	1					Organizations		
7	000	10	10	0 1 4 :				
7.	Office	18	40	Graduate in	Degree	Atleast three		Atleast three
į.	Assista			Science /	in	years working		years working
- 1	nt-			Diploma in	Enginee	experiencein		
	cum-			Engineering	ring /	Computer		experiencein
	Compu			/ ITI / DCA	PGDCA	Application/		Computer
	ter			or equivalent	/ Post	MS Office /		Application/
- 1	Operat			and passed	Graduat	Data		MS Office /
- 1	or			CPCT.	e in	Management		Data
- 1	٠.		i	Or Or.	Comput	/ Data Entry		Management /
- 1	1		Į.	-	-			Data Entry
- 1					er	Operator in		Operator in
					related	Central/State		Central/ State
- 1					field or	Government /		Government /
			1		equivale	Semi-		1
	1.1		1		nt is	Government		Semi-
- 1	1		1		desirabl	organizations		Government
					e	ů		organizations
3.	Driver	18	40	Must have	Having	Atleast three		
-				valid Driving	HMV	years working		Atleast three
	- 3							years working
	1			License and	Driving	experience of		experience of
	1		V-	passed High	License	car driving in	9	car driving in
1	Pr I			School	is	Central/ State		Central/State
1			- 1	_	desirabl	Government or		Government or
1					е	Semi-		
11			1 1		ĺ	Government		Semi-
			× , 1			organizations		Government
1				-		6		organizations
			(6)					
								1
						T T		
	4							

(1)	(2) (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.	Peon 18	40	Must have passed VIIIth standard from Board/ Institution recognized by the Governmen t of Madhya Pradesh	Passed High School Certific ate or equival ent is desirabl e	Atleast three years working experience as Peon or equivalent in Central/State Government or Semi-Government organizations . Must be able to read Hindi and English		Atleast three years working experience as Peon or equivalent in Central/Madhya Pradesh Government or Semi-Government organization. Must be able to read Hindi and English.

#### Note-

- 1. The specialist of different fields may be recruited against the post of Assistant Director, which shall be determined by the Director / Coordinator, MPSDMA.
- 2. The maximum age limit of officer/employee for deputation shall be 55 years.
- 3. Age relaxation would be in accordance to the rules of Madhya Pradesh Government.
- 4. In case of retired government servant, contract appointment may be given up to the age of 65 years where age of superannuation is 60 years and where the age of superannuation is 65 years, it may be given up to the age of 70 years.

# SCHEDULE- IV Division-wise Number of Sanctioned Posts of Orficers/Employees of the Authority

S. No.	Name of post	Total Sanctioned posts
1	Coordinator / Director	The last last last
2	Stenographer	
3	Office Assistant-cum-Computer Operator	1
4	Driver	2
5	Peon	3

#### A. Administrative Division

S. No.	Name of post	Total Sanctioned posts
1	Deputy Director (Administrative)	1
2	Assistant Director	1
3	Office Assistant-cum-Computer Operator	2
4	Peon	2

#### B. IEC and Media Division

S. No.	Name of post	Total Sanctioned posts
1	Deputy Director (IEC and Media)	1
2	Assistant Director	2
3	Office Assistant-cum-Computer Operator	2
4	Peon	1

C. Training and capacity Building

S.	Name of post		Total Sanctioned
No.		N. At	posts
1	Deputy Director (Training capacity Building)	and	1
2	Assistant Director .		2
3	Training Experts		2
4	Office Assistant-cum-Computer Operator		3
5	Peon		2

#### D. Research and Policy Development

S. No.	Name of post	Total Sanctioned posts
1	Deputy Director (Research and Policy Development)	1 _
2	Assistant Director (Thematic)	3
3	Office Assistant-cum-Computer Operator	3
4	Peon	2

#### E. Finance Planning and Co-ordination Division

S. No.	Name of post	Total Sanctioned posts
1	Assistant Director (Finance)	1
2	Assistant Accounts Officer	1
3	Accountant	1
4	Office Assistant-cum-Computer Operator	1
5	Peon	1

F. Operation and Co-ordination Division

S. No.	Name of post	Total Sanctioned posts
1	Deputy Director	1
2	Assistant Director	3
3	Office Assistant-cum-Computer	1
	Operator	
4	Peon	11

G. International Co-operational- cum-New Technology Development

**Total Sanctioned** S. Name of post posts No. 1 **Deputy Director** 1 **Assistant Director** 1 2 1 Office Assistant-cum-Computer Operator 1 4 Peon **Grand Total** 54

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, MOHD. SHAHID ABSAR, Secy.